

## ‘वस्तु एवं सेवा कर’ प्रणाली के चार वर्ष

### प्रलिस के लयः

‘वस्तु एवं सेवा कर’ प्रणाली, जीएसटी परषिद, केंद्रीय अपरत्यक्ष कर और सीमा शुलक बोरुड

### मेनुस के लयः

जीएसटी प्रणाली की उपलबुधयिँ और संबुधति चुनौतयिँ

## चरुा में क्युँ?

हाल ही में केंद्रीय अपरत्यक्ष कर और सीमा शुलक बोरुड (CBIC) ने ‘वस्तु एवं सेवा’ (GST) प्रणाली के चार वर्ष पूरे होने के अवसर को चहिनति करने हेतु लगभग 54,000 करदाताओं को सम्मानति करने का नरुणय लयि है ।

## प्रमुख बडि

### GST की उपलबुधयिँ

- **सुवचालति अपरत्यक्ष कर पारसिथतिकी तंतुरः**
  - **ई-वे बलि** की शुरुआत के साथ-साथ नकली चालान पर काररुवाई करने से जीएसटी राजसुव में बडुतरी करने में मदद मली है, जसिकी या तो अब तक चुरी की जा रही थी या कम राजसुव दर्ज कयि जा रहा था ।
  - ई-चालान प्रणाली करदाताओं को पूरी तरह से सुवचालति अनुपालन वुवसुथा प्रदान करती है, जसिमें कर देनदारयिँ की गणना और इनपुट टैकुस कुरेडटि का मलान आसानी से कयि जा सकता है ।
- **अनुपालन का सरलीकरणः**
  - आयात पर कुरेडटि उपलबुधता हेतु सीमा शुलक पोरुटल को जीएसटी पोरुटल से जुडने, इनपुट टैकुस कुरेडटि के मलान हेतु उचति साधन उपलबुध कराने, चालान रजसुदरी पोरुटल के नरुिबाध सुचालन हेतु ररुिंड प्रकरयि के सुवचालन में वुदुध जैसी वभिनुिन पहलों ने कर अनुपालन को आसान बनाने में मदद की है ।
- **जीएसटी परषिद की कारुयप्रणालीः**
  - जीएसटी परषिद ने कानून में सुधार कयि, जटलि मुदुँ पर सुपुटीकरण जारी कयि, जीएसटी दरुँ को युकुतसिंगत बनाया और कुवडि-19 महामारी से नपिटने के लयि छुट की शुरुआत की, जो क जीएसटी परषिद की बेहतरीन कारुयातुमक सुसरचना का परिणाम है ।
- **वशुव के लयि एक उदाहरण**
  - भारत ने ‘वस्तु एवं सेवा कर’ जैसी सरुवाधकि जटलि कर परविरुतन परयिोजनाओं में से एक को सफलतापूरुवक लागू कर दुनयि के लयि एक महतुतुवपूरुण उदाहरण प्रसुतुत कयि है ।

### चुनौतयिँ

- **राजकुषीय सुघवादः**
  - यह मुदुदा तब वविदासुपद हु गया जब महामारी के कारण जीएसटी सुंगरुह में गरिवट दर्ज की गई ।
  - चूँक जीएसटी ने राजुयुँ की कररुाधान शकुतयिँ के एक बडे हसुसे का अधगिरुहण कर लयि, उदाहरण के लयि राज्य परत्यक्ष कर या सीमा शुलक नही अधरुिपति कर सकते हैं, ऐसे में केंदर सरकार दवारा उनुहें पाँच वर्ष की अवधुके लयि 14% की गारुंटीकृत राजसुव वुदुधुकी पेशकश की गई थी ।
- **15वें वतुति आयुग दवारा रेखरुंकति मुदुदेः**
  - 15वें वतुति आयुग ने जीएसटी शासन में कर दरुँ की बहुलता, पूरुवानुमान के मुकाबले जीएसटी सुंगरुह में कमी, जीएसटी सुंगरुह में उचुच असुथरुिता, ररुिनुन दाखलि करने में असुंगति, मुआवजे को लेकर केंदर पर राजुयुँ की नरुिभरुता आदिवभिनुिन कुषेतरुँ पर प्रकराश डाला था ।
- **बडे वुववसाय बनाम छुटे वुववसाय**
  - जीएसटी कानून को लाए जाने के मूलभूत सुदुधरुंतुँ जैसे- इनपुट कुरेडटि का नरुिबाध प्रवह और अनुपालन में आसानी आदुपर सुचुना

प्रोद्योगिकी (IT) संबंधित गड़बड़ियों एवं चुनौतियों का काफी प्रभाव पड़ा है।

- अप्रत्यक्ष कर, आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों के विपरीत अमीर और गरीब के बीच के अंतर को नहीं देखता है और इसलिये इस प्रकार के कर का गरीबों पर भारी बोझ पड़ता है।
- इसके अलावा छोटे एवं मध्यम व्यवसाय अभी भी तकनीक-सक्षम शासन के अनुकूल होने की चुनौती से जूझ रहे हैं।

## सुझाव:

- देश भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐसे में नीति निर्माताओं को पेट्रोलियम और संबंधित उत्पादों को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर विचार करने की आवश्यकता है।
- साथ ही जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी करदाताओं के पास प्रत्येक व्यावहारिक चुनौती से निपटने के लिये उच्च न्यायालय के पास जाने हेतु वित्तीय साधन और समय नहीं है।
- मुनाफाखोरी को रोकने संबंधी उपायों को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी फरि से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीएसटी कानून के तहत परकिल्पति लागत दक्षता तथा कीमतों में कमी का लाभ अंततः आम आदमी तक पहुँच सके।

## वस्तु एवं सेवा कर (GST) :

### परिचय :

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) **घरेलू उपभोग के लिये बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धति कर** है।
- GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
- GST, जिसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों (पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टॉप शुल्क प्रमुख अपवाद हैं) को एक मंच के अंतर्गत समाहित कर दिया, शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार है। इसे 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रिको परिचालन में लाया गया था।

### जीएसटी की विशेषताएँ:

- **आपूर्ति पक्ष पर लागू:** वस्तु के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रवाधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर जीएसटी लागू है।
- **गंतव्य आधारित कराधान:** GST मूल-आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
- **दोहरा GST:** यह केंद्र और राज्यों पर एक साथ, एक समान आधार पर लगाया जाने वाला कर है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को **केंद्रीय जीएसटी (CGST)** कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले को **राज्य जीएसटी (SGST)** कहते हैं।
  - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्तिके रूप में माना जाएगा तथा यह लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त **कृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST)** के अधीन होगा।
- **पारस्परिक रूप से तय की जाने वाली जीएसटी दरें:** CGST, SGST व IGST केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद की सफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं।
- **बहुगामी दरें:** जीएसटी चार दरों ( **5%, 12%, 18% और 28%** ) पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद द्वारा इन बहुतायत चरणों (Slabs ) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची तैयार की जाती है।
  - इसमें अलग से जीएसटी के तहत मोटे कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है।

### GST परिषद:

- यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सफारिश करने के लिये **एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A)** है।
- इसकी अध्यक्षता **केंद्रीय वित्त मंत्री** करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
- इसे **एक संघीय निकाय** के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मलित है।

### GST द्वारा लाए गए सुधार:

- **एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण:** बड़ी संख्या में केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जा रहे करों को मिलाकर एक ही कर बनाना।
- **व्यापक प्रभाव का शमन:**
  - वस्तु या सेवाओं (यानी इनपुट पर) की खरीद के लिये एक व्यापारी जो जीएसटी का भुगतान करता है, उसे बाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू करने के लिये तैयार या सेट किया जा सकता है। सेट ऑफ टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। इस प्रकार जीएसटी कर पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव को कम कर सकता है क्योंकि इससे अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ बढ़ जाता है।
- **कर के बोझ में कमी:** उपभोक्ताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वस्तुओं पर लगने वाले कर के बोझ में कमी आ सकेगी।
- **भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना:** उत्पादन की मूल्य शृंखला में इनपुट करों के पूर्ण निष्प्रभावीकरण के कारण जीएसटी की शुरुआत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना रही है।

## आगे की राह

- अभी भी ऐसे कई कानून हैं जिनका 'कार्य-प्रगति' पर है तथा इतनी जटिल यात्रा में **विकास की प्रक्रिया** को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार को आने वाले समय में '**अच्छे और सरल कर**' के अपने वादे को पूरा करने के लिये उपाय करना जारी रखना चाहिये।

स्रोत : पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/four-years-of-the-gst>

